

हरिजनसेवक

(संस्थापक : महात्मा गांधी)

भाग १७

सम्पादक : मगनभाई प्रभुवास देसाई

अंक ३

मुद्रक और प्रकाशक
जीवणी डाक्षागामी देसाई
नवीन मुद्रणालय, अहमदाबाद-९

अहमदाबाद, शनिवार, ता० २१ मार्च, १९५२

वार्षिक मूल्य देशमें रु० ६
विदेशमें रु० ८; शिं० १४

अनिवार्य शिक्षा

मैं निश्चयके साथ तो यह नहीं कह सकता कि मैं अनिवार्य शिक्षणका कभी विरोध करूँगा ही नहीं। किसी भी बातको — फिर वह चाहे जितनी अच्छी हो — अनिवार्य बनानेसे मुझे सख्त नफरत है। जिस तरह मैं जबरन् लोगोंसे व्यसन नहीं छुड़ाओगा, असी तरह जबरन् अन्हें शिक्षा भी नहीं दूंगा। लेकिन जिस तरह मैं शराबकी नशी दुकानें खोलनेसे अन्कार करके और मौजूदा दुकानें बन्द करके शराबकी बुराओंको मिटाओगा, असी तरह मैं ज्ञानके रास्तेमें आनेवाली रुकावटें दूर करके तथा प्रजाकी जरूरतोंको पूरा करनेवाली शिक्षाकी मुफ्त शालायें खोलकर प्रजाकी निरक्षरताको मिटाओगा। लेकिन आज तो हमने मुफ्त शिक्षाका कोअी प्रयोग बड़े पैमाने पर किया नहीं है। हमने बच्चोंके भाता-पिताको अिसके लिये किसी तरह ललचाया भी नहीं। हमने प्रजाको अक्षर-ज्ञानकी कीमत जितनी चाहिये अतनी या बिलकुल नहीं समझायी है। हमारे पास अंसी शिक्षा देनेवाले योग्य शिक्षक भी नहीं हैं। अिसलिये मुझे तो अंसा लगता है कि आज शिक्षाको अनिवार्य बनानेका विचार असामिक होगा।

मैं यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि जहां-जहां अनिवार्य शिक्षाका प्रयोग किया गया है, वहां वह सफल ही हुआ है। अगर देशके बहुसंख्यक लोग शिक्षाको जरूरी मानते हों, तो असे अनिवार्य बनानेकी जरूरत ही नहीं है। और यदि वे शिक्षाको जरूरी न मानते हों, तो असे अनिवार्य बनानेसे बहुत नुकसान होगा। प्रजाके प्रचंड विरोधकी परवाह न करके तो कोअी निरंकुश और अत्याचारी सरकार ही कानून बना सकती है।

क्या प्रजाके बहुत बड़े भागके बच्चोंकी शिक्षाके लिये सरकारने सारी आवश्यक सुविधायें दी हैं? पिछले री बरस या अिससे भी ज्यादा समयसे हम अंसी राज्यतंत्रके बोझके नीचे कुचले जाते रहे हैं, जिसमें दबाव और जोर-जल्मका ही बोलबाला रहा है। यह राज्यतंत्र हमसे पूछे बिना ही विविध शाखाओंवाले हमारे जीवन पर शासन करता है। अभी तक असने प्रजासे जबरन् सब कुछ कराया है। अिसलिये अंजियों, आजिजी या प्रार्थनाओंका अस पर कोअी असर नहीं होता। क्योंकि जनताने अभी तक सरकारसे जो आजिजी या प्रार्थनायें की हैं, अन पर असने कोअी ध्यान नहीं दिया है। अिसलिये अंसी सरकारसे जनता दूसरा क्या सीख सकती है? स्वेच्छापूर्वक किये जानेवाले प्रयत्नसे कोअी सुधार हो ही नहीं सकता, अंसा माननेकी जब प्रजाको आदत हो जाती है, तो अिससे बढ़कर असके सच्चे विकासको रोकनेवाली दूसरी कोअी चीज़ नहीं है। अिस तरह दबावके तंत्रके नीचे जो प्रजा तालीम पाती है, वह स्वराज्यके लिये बिलकुल अयोग्य होती है। अिसलिये मेरी अूपरकी दलीलका यह सार निकलता है कि आज अगर हमें स्वराज्य मिल जाय, तो जब तक अंच्छक प्राथमिक

शिक्षणके सारे प्रामाणिक प्रयोग निष्पल न हो जायं, तब तक तो मुझे अनिवार्य शिक्षाका विरोध ही करना चाहिये। पाठक अितना जरूर याद रखें कि आजसे ५० बरस पहले देशमें जितनी निरक्षरता थी, अससे आज ज्यादा है। और असका कारण यह नहीं है कि प्रजा अपने बच्चोंको शिक्षा नहीं देना चाहती, बल्कि यह है कि प्रजाके पास पहले शिक्षणकी जितनी सुविधायें थीं, वे सब एक कृत्रिम और विदेशी राज्यतंत्रके नीचे खत्म हो गयी हैं।

हमें यह मान लेनेका क्या हक है कि घरके आंगनमें मुफ्त शिक्षाकी व्यवस्था हो, तो भी माता-पिता अितने मूर्ख या निर्दय हैं कि वे अपने बच्चोंकी शिक्षाकी परवाह नहीं करेंगे?

('यंग बिडिया', १४-८-'२४)

मो० क० गांधी

हाथ-बुद्धोग द्वारा क्रांति

बम्बाईसे एक व्यापारी भाऊ लिखते हैं:

"मैं बीस वर्षसे कपड़ेका व्यापार करता हूँ। मेरा व्यापार हाथ-करघे, बिजली-करघे (पावर-लूम) और मिलके कपड़ेका है। अिसलिये हाथ-बुनाईके कपड़ेके बारेमें मुझे अच्छा अनुभव है।

"मैं मानता हूँ कि हाथ-करघेके अद्योगको बढ़ावा देनेके लिये मिलोंको रंगीन और खास किस्मकी साड़ियोंकी बुनाईके बारेमें जो मनाही की गयी है, वह ठीक ही है।

"चूंकि मुझे हाथ-करघेके कपड़ेकी खरीदीके लिये भिन्न-भिन्न हाथ-करघेके कपड़ेके अत्यादन-क्षेत्रोंमें जानेका मौका आता है, अिसलिये मिल-कपड़ेके अत्यादनमें लगे हुए मजदूरों और हाथ-करघे पर काम करनेवाले बुनकरोंके जीवनकी तुलना करनेके मुझे कठी मौके मिलते हैं। और मैंने हमेशा यह बात महसूस की है कि मिल-मजदूरकी तुलनामें हाथ-करघेके बुनकरका जीवन अधिक जीने लायक माना जा सकता है; और असे ही अधिक बढ़ावा देनेकी जरूरत है।

"यदि हमें अपने गांवोंको बरबादीसे बचाना हो, गांवोंके लोगोंको पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था या 'स्टेट केपिटेलिज्म' (राष्ट्रीय पूंजीवाद) की गुलामीसे मुक्त रखना हो, अन्हें कर्कश मशीनों और शहरोंके धनी आवादीवाले गन्दे और अनैतिक बातावरणके बीच रहकर पशु बननेसे बचाना हो, तो हमें हाथ-बुनाईके अिस अद्योगको जिन्दा रखना ही चाहिये।

"और अिसके लिये हम मिलों पर जितने भी नियंत्रण रखें, अतने थोड़े हैं। लेकिन मेरा अनुभव यह बताता है कि केवल मिलों पर नियंत्रण रखकर बैठे रहनेसे भी कोअी खास लाभ नहीं होगा।

"मेरी रायमें हाथ-बुनाईके कपड़ेके बारेमें चार मुख्य शिक्षायतें हैं: (१) वह बहुत घटिया किस्मका होता है; (२)

युसका कोअी खास 'स्टेप्डर्ड' नहीं होता; (३) अुसके रंग कच्चे होते हैं; और (४) अुसकी बुनाओी बहुत ज़ीनी होती है (खास करके साड़ियोंमें शुल्क-शुल्के अेक-दो गज तक तो ठीक होती है, लेकिन बादमें अन्दरके भागमें बिलकुल जाली जैसी होती है) और नापमें पाव गज कम होता है। फिर घोनेके बाद वह बहुत सिकुड़कर छोटा हो जाता है और अुसका पोत बेकार-सा बन जाता है।

"ये सब शिकायतें अितनी अधिक आम बन गई हैं कि लोग हाथ-बुनाओीका कपड़ा खरीदते हुओं हिचकिचाते हैं और मजबूरीसे ही अुसे खरीदते हैं।

"अिसलिये जब तक हम अपने हाथ-बुनाओीके कपड़ेका दर्जा (कवालिटी) नहीं सुधारेंगे, अुसका अेक खास स्तर (स्टेप्डर्ड) कायम नहीं रखेंगे, अुसके रंगके पक्के होनेकी और नापमें पूरा होनेकी गारंटी नहीं देंगे, तब तक हम अिस बारेमें अधिक प्रगति नहीं कर सकेंगे।"

यह साफ है कि ये भाऊी बिलकुल सही बात कहते हैं। वे जो बात सुकाते हैं, अुसे कौन करे? वह किस तरह हो? — यही बड़ा सवाल है। ये भाऊी अपने पत्रमें सुकाते हैं कि हरअेक अत्यादन-केन्द्रमें अेक-अेक समिति अिस कामके लिये नियुक्त की जाय। बात ठीक भी है। यह समिति कारीगरोंको ही बनानी चाहिये। बेशक, लोकसेवक अुसमें मदद करें, प्रोत्साहन दें। लेकिन आखिर तो कारीगरोंको ही यह काम सहकारिताके आधार पर करते सीखना चाहिये। जो दोष पत्रलेखक बताते हैं, अुसमें कुशलताके अभावके बजाय शायद अप्रामाणिकता ही कारण हो सकती है। तो अिस नैतिक दोषको दूर करना कारीगरोंके हाथकी बात है। सब साथ मिलकर जरुरी निर्णय करें; चाहें तो अुस पर अपनी पंचायत द्वारा प्रतिबंध लगवा सकते हैं। हाथ-अुद्योगके अुत्कर्षमें मनुष्य और अुसकी कारीगरी तथा नीतिमत्ता और श्रम यह अेक बड़ी पूँजी और काम देनेवाला बल है। प्रयोगोंमें धन और यंत्र द्वारा शोषणका बल होता है। अिस भेदको ध्यानमें रखकर यदि हमारा कारीगर वर्ग काम करने लगे, तो हम गृह-अुद्योग और ग्रामोद्योगों द्वारा जो आर्थिक और औद्योगिक कांति करना चाहते हैं, वह बिलकुल आसान चीज बन जाय।

१४-३-'५३

मगनभाऊी देसाबी

(गुजरातीसे)

यह काफी नहीं है

ब्रिटिश सूचना-विभाग, नवी दिल्लीने 'ब्रिटेनकी विदेश-नीति' पर अेक पत्रिका निकाली है, जिसमें ब्रिटेनकी विदेश-नीतिके ध्येयों और बुद्धियोंके बारेमें प्रसिद्ध लेखकोंके तीन लेख छपे हैं। अनन्यमें से अेक हैं सर अर्नेस्ट बाकर, जो केम्ब्रिजके प्रसिद्ध राज-नीतिक दर्शनिक हैं। वे 'स्वतंत्रता, सलामती और खुशहाली' पर लिखते हुओं कहते हैं:

"ब्रिटेनकी विदेश-नीतिका मुख्य ध्येय ब्रिटेनकी स्वतंत्रता, सलामती और खुशहाली है और अिस ध्येयके साथ ब्रिटेनसे राष्ट्रसमूहकी समान सदस्यताके नाते जुड़े हुओं सारे देशोंकी स्वतंत्रता, सलामती और खुशहालीका ध्येय भी अभिन्न रूपसे जुड़ा हुआ है।"

यहाँ कोअी अेसी दलील कर सकता है कि यह कथन किसी राष्ट्र और अुसके मित्रों द्वारा अपनायी जानेवाली विदेश-नीतिके संबंधमें लगभग अेक सत्यको ही बताता है। लेकिन सवाल यह नहीं है। हम जो जानना चाहते हैं, वह दूसरी चीज है। विश्वसान्ति और विश्वकी सलामतीकी दृष्टिसे हमें यह जानना चाहिये कि कोअी राष्ट्र या अुसके मित्र अेक समूहके नाते दूसरे

राष्ट्रोंके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ताकि दूसरे राष्ट्रोंकी और अिस तरह सारी दुनियाकी स्वतंत्रता, सलामती और खुशहाली सबका संयुक्त और परस्पर आश्रित प्रयत्न बन जाय? विद्वान प्रोफेसर शायद अेसे प्रश्नका अुत्तर देनेके लिये आगे चलकर कहते हैं:

"किसी देशकी सरकार अुसके द्रस्टीके रूपमें है, जो देशकी तरफसे सारा कामकाज चलाती है। और द्रस्टीको अन लोगोंके कल्याणके लिये काम करना चाहिये, जिनके हितोंके लिये वह जिम्मेदार है। वह अपनी मर्जी या बुद्धिसे कोअी काम नहीं कर सकता। अुसे हमेशा अपने काममें अुसीके हित और कल्याणका सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, जिसका वह संरक्षक बना हुआ है। अेसे द्रस्टीके नाते ब्रिटेनकी सरकारको अपनी विदेश-नीतिमें ब्रिटेनकी प्रजाकी स्वतंत्रता, सलामती और खुशहालीके तीन मुख्य ध्येयोंको बढ़ानेका ध्यान रखना होगा।"

किसी भी राष्ट्रकी स्वतंत्रता, सलामती और खुशहाली केवल अुसका अपना ही स्वतंत्र हित नहीं है — वह दूसरे राष्ट्रोंके अिस हितके साथ जुड़ा हुआ है। दुनियाके सभी राष्ट्र अपने लिये अुनका चाह रखते हैं। और हरअेक राष्ट्रकी सरकारको, अुसकी तरफसे द्रस्टीके रूपमें काम करते हुओं, अपने राष्ट्रके लिये स्वतंत्रता, सलामती और खुशहाली हासिल करनेका अधिकार है। लेकिन यहाँ मुख्य प्रश्न तो यह है कि अेक राष्ट्रकी स्वतंत्रता, सलामती या खुशहाली दूसरे राष्ट्रोंकी स्वतंत्रता, सलामती या खुशहालीको नुकसान पहुँचाकर अथवा अुनकी बिलकुल परवाह न करके सिद्ध नहीं की जानी चाहिये। सारी दुनिया अेक है और सारे मानव-परिवारको, यानी अुसके सारे अवयवोंको, दुनियाके विभिन्न राष्ट्रोंको, मानव-कल्याणकी प्राप्तिके लिये समान रूपसे अिन तीनों चीजोंकी जरूरत है। राष्ट्रोंके सामने सवाल यह है कि अिन्हें कैसे प्राप्त किया जाय। अेसी हालतमें किसी राष्ट्रकी विदेश-नीति क्या होनी चाहिये? या विदेश-नीतिका प्रश्न भविष्यमें निर्माण की जानेवाली विश्व-सरकारका माना जाय, और अलग-अलग राष्ट्र अुसके बारेमें अभी कुछ न सोचें? अिसका अेकमात्र जंचता हुआ अुत्तर यही है कि किसी राष्ट्रकी विदेश-नीतिका ध्येय शान्ति भी होना चाहिये; और अुसकी सिद्धिके लिये राष्ट्रको अिसका खयाल रखना चाहिये कि अुसकी स्वतंत्रता, सलामती और खुशहालीसे कोअी विरोध न हो। अपने राष्ट्रके बुद्धिमान द्रस्टीके नाते किसी देशकी सरकारको दूसरोंसे बिलकुल अलग-अलग और स्वार्थी नहीं होना चाहिये; अुसे सारे मानव-परिवारके समान कल्याणमें और अुसके जरिये अपने राष्ट्रका कल्याण चाहना चाहिये। यह भी किसी राष्ट्रकी विदेश-नीतिका सजीव ध्येय होना चाहिये; बल्कि भीतरी और बाहरी कामकाजसे — न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक, व्यापारिक वर्गरा भी — संबंध रखनेवाली नीतिके सारे प्रश्नोंमें यही अेक मुख्य ध्येय होना चाहिये। क्योंकि आखिरमें अिन तीनोंके पीछे रही स्वार्थी दृष्टि ही राष्ट्रोंके बीच युद्धोंको जन्म देकर स्वतंत्रता, सलामती और खुशहालीको खतरेमें डालनेका कारण बनती है। अिसलिये किसी देशके लिये केवल अपनी ही स्वतंत्रता, सलामती और खुशहालीको बनाये रखना काफी नहीं है; अुसे दूसरे देशोंकी स्वतंत्रता, सलामती और खुशहालीका पूरा खयाल रखकर अेसा करना चाहिये। क्योंकि ये तीनों चीजें दुनियाकी सारी सरकारोंकी संयुक्त चिन्ताके विषय हैं।

१३-३-'५३
(अंग्रेजीसे)

मगनभाऊी देसाबी

दुराचार और आधुनिक परिस्थितियाँ

[अखिल भारतीय नैतिक और सामाजिक शुद्धाचार परिषद् के तृतीय अधिवेशन (लखनऊ, २८ जनवरी १९५३) का अद्घाटन करते हुये श्री के० अम० मुंशी द्वारा दिये गये भाषणकी २९ जनवरी, १९५३ के 'नेशनल हेराल्ड' में प्रकाशित रिपोर्टें।]

में चाहता हूँ कि परिषद् अनु अनेक कारणों पर विचार करे, जो दुराचारके व्यापारको बढ़ा रहे हैं।

संयुक्त परिवार और जाति

संयुक्त परिवारकी संस्था, जो निराश्रित स्त्रियोंका पालन करती थी और इस तरह अन्हें कुमार्ग पर जानेसे रोकती थी, दूटी जा रही है। पिछले कालमें हरअेक जातिका अपना लोकमत, सामाजिक और नैतिक आचार तथा असकी रक्षाके लिये अपना तंत्र होता था। असके कारण अच्छूब्ल व्यवहार पर अंकुश रहता था और जाति पर अपने निराश्रित सदस्योंके पालन-पोषणकी सामूहिक जिम्मेदारी होती थी। आजकल हमारे देशके शिक्षित लोगोंमें जातिकी भावना लगभग गायब हो गयी है।

आधुनिक शहरी जीवन

दूसरा बड़ा कारण, जो इस समस्याको बहुत बढ़ा रहा है, बड़े-बड़े शहरोंकी बढ़ती है। अंसे शहरोंमें जातिकी भावना कमजोर होने लगती है, जातिका अंकुश वहां संभव नहीं रह जाता और पश्चिममें प्रचलित सामुदायिक जीवन अभी असंघटित है। स्त्रियों और पुरुषोंकी संस्थामें फर्क बढ़ता जा रहा है।

बड़े शहरोंमें जहां अूपरके वर्ग पश्चिमी ढंगका जीवन अस्तियार कर लेते हैं, वहां शिक्षित स्त्रियाँ सामान्य स्त्रियोंसे भिन्न जीवन बिताने लगती हैं। वे कोअी शारीरिक काम नहीं करतीं और बच्चोंके पालन-पोषण तकका काम नौकरानियों पर छोड़ देती हैं। गुजरे जमानेमें स्त्री पद और प्रतिष्ठामें जितनी अूपर होती थी, अपने आचरणमें वह अतुने ही कठिन अनुशासनका पालन करती थी। लेकिन अब गांवसे या गरीब घरसे आबी नौकरानी अपनी मालकिनको बहुत बारीक साड़ी और गले पर दूर तक खुला हुआ ब्लाउज़ पहने देखकर तथा पुरुषोंसे स्वतंत्रापूर्वक मिलते-जुलते देखकर पहले तो हँरान रह जाती है। फिर धीरे-धीरे अुसे अम्बास हो जाता है और वह समझने लगती है कि शिष्टता और सम्मता यही है। मालकिनका रहन-सहन असकी वीष्याका विषय हो जाता है। वह अपनी मालकिनकी नकल करना शुरू कर देती है। लेकिन अंसे इस नकलके लिये पुरुष नौकरोंके सिवा कोअी दूसरा सामाजिक जीवन नहीं मिलता। इस हालतमें, जैसा कि स्वाभाविक है, असकी नैतिक विधि-निषेधकी भावना टूट जाती है। और तब वह अंसा रोजगार अठा लेती है, जो अंसे असकी मालकिनकी तरह रहनेकी अिच्छा — दिखावटी रूपमें ही क्यों न हो — पूरी करनेका मौका देता है।

पश्चिमसे सम्पर्क

पश्चिमके सम्पर्कमें हमने कभी अंसे विचार अपना लिये हैं, जिन्होंने हमारी नैतिक और आध्यात्मिक मर्यादाओंमें फर्क पैदा कर दिया है। तारीका पावित्र भारतमें अविचल निष्ठाका विषय था। सारे देशमें, सब लोगोंमें इस निष्ठाकी प्रतिष्ठा थी, और असमें किसीने कभी कोअी सन्देह नहीं किया। यहां तक कि जो जातियाँ संस्कृतिके अभावमें अंसे व्यवहारमें नहीं मानती थीं, वे भी अंसे अच्छतर सामाजिक जीवनकी विशेषताके रूपमें देखती थीं, और असकी अिच्छा करती थीं। किन्तु अब तो जो वर्ग अंसे जीवनके बुनियादी नियमकी तरह स्वीकार करते थे, वे खुद ही असमें सन्देह करने लगे हैं, जिसके फलस्वरूप इस विश्वासकी पकड़ अनुमें बहुत क्षीण हो गयी है। विवाह अस समय अंक धार्मिक

संस्कार था, वह दो आत्माओंका मिलन होता था। आधुनिक विचार-प्रणालीने अंसे करारका रूप दे दिया है, जो कभी भी तोड़ा जा सकता है। अंससे ज्यादा बुरी बात यह है कि जहां पश्चिमका प्रभाव बहुत ज्यादा है, वहां विवाह सुखके साधनकी तरह देखा जाने लगा है। हमारा सौभाग्य है कि भारतमें अधिकांश वर्गोंमें विवाहकी पवित्रता पर आज भी गहरी आस्था मौजूद है।

अंक दूसरा कारण विभाजनके बाद हमारे यहां, खासकर धनी आबादीवाले बड़े-बड़े शहरोंमें, विस्थापित निर्वासितोंका बहुत बड़ी संख्यामें आना भी है।

इस सारी परिस्थितिका अंक और लक्षण व्यवहारकी कुछ हितकारी रूद्धियोंका गायब हो जाना है। अदाहरणके लिये, भारतमें लड़के-लड़कियाँ या पुरुष-स्त्रियाँ अंक-दूसरेके शारीरिक स्पर्शसे बचते थे, सिवा कि वे पति-पत्नी हों। अंसके विषयमें हमारे मनमें अंक स्वाभाविक निषेधका भाव था। यह रूद्धि कामवृत्ति पर कठिन बंधनका काम करती थी। पश्चिमके सम्बन्धने अंसे भी तोड़ दिया है।

कामोत्तेजक प्रचार

लेकिन दुराचारकी वृद्धिका किसी भी दूसरे कारणसे अधिक जोरदार कारण तो शहरों और शहरी क्षेत्रोंमें चलनेवाला कामोत्तेजक प्रचार है। अंसके प्रचारके बाहक अनेक हैं, अखबार, सिनेमाघर, अश्लील गीत और साहित्य। ये सब रोज-रोज हमें अन सारे सामाजिक और नैतिक निषेधोंको तोड़नेका सबक सिखाते हैं, जिन्होंने शताब्दियोंसे हमारे मनमें आत्म-संयमका संस्कार जमाया है। सिनेमासे अगर कोअी सबसे भयंकर हानि हुयी है, तो वह स्त्री-पुरुष-मर्यादाकी पवित्रताका विनाश ही है। आधुनिक विज्ञापन भी कामोत्तेजक शब्दों या चित्रों द्वारा काम-संयमके अंस संस्कारको क्षीण करते हैं। अंस परिषद्का कर्तव्य है कि वह देशको अंस बुराईसे मुक्त करनेके आन्दोलनका नेतृत्व करे।

जन्म-निरोध

हमारी परिवार-नियोजन सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ भी बहुत सावधानीसे चलाई जानी चाहियें। अभी निकट भविष्यमें अंसा नहीं लगता कि अनुका हमारी जनसंख्याकी वृद्धि पर कोअी खास असर होगा। हमारे यहां प्रतिदिन १०,००० की वृद्धि होती है। अगले १० सालमें अंस संख्यामें १,००० की भी कमी होगी या नहीं, अंसमें शक मालूम होता है। साथ ही अमेरिका तथा दूसरे देशोंमें परिवार-नियोजनके जोरदार प्रचारके बहुत अनिष्ट परिणाम आये हैं, जैसा कि वहांकी सामाजिक स्थितिका अंस दृष्टिसे खोज करनेवालोंने बताया है। हमारे यहां भी अंस प्रचारके अंसे ही परिणाम आ सकते हैं। अंससे विवाह-संस्थाकी पवित्रता मिटने लगती है, और समाजकी नैतिक बुनियादके क्षीण हो जानेके कारण परिवारकी व्यवस्था टूटने लगती है। जन्म-निरोधके साधनोंके अत्यधिक प्रचारसे लोगोंको लगता है कि संयमकी अब कोअी जरूरत नहीं, स्त्री-पुरुषोंके अनैतिक सम्बन्धोंमें कोअी डर नहीं, और शादीकी बजाय जन्म-निरोधके साधन अधिक अपयोगी हैं, क्योंकि बिना कोअी जिम्मेदारी अठाये शादीका सुख अनुसे मिल जाता है।

(अंग्रेजीसे)

शाराबबन्दी क्यों?

लेखक : भारतन् कुमारप्पा

अनुवादक : रामनारायण चौधरी

कीमत ०-१०-०

डाकखालचं ०-३-०
नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद - ९

हरिजनसेवक

२१ मार्च

१९५३

स्वच्छता, खाद और कूड़ा-करकट

जिस अखिल भारतीय खादी-ग्रामोद्योग बोर्डको तुरन्त खादी और द्वासरे दस ग्रामोद्योगोंका काम संपादित है। ये बुद्योग कौन-कौनसे हैं, यह हम ता० ७-३-'५३ के 'हरिजनसेवक' में छपे अग्रलेखमें देख गये हैं। यिसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि यदि बोर्ड दूसरा कोअी बुद्योग आसानीसे बढ़ा या विकसित कर सके, तो अुसे अैसा नहीं करना चाहिये। जैसे कि खादीको फिरसे गांवोंमें जमाते हुए बोर्डको स्वभावतः गांवके द्वासरे अनेक बुद्योगों और अनुमें लोग हुए कारीगरोंकी तरफ भी ध्यान देना होगा। यिसका कारण यह है कि खादीका काम अैसा है, जिसके साथ द्वासरे कभी काम जुड़े हुए हैं। बोर्डको अैसा काम करना है, जिससे गांवके लोग हिलमिलकर रहें, स्वरेतीकी सच्ची भावना फिरसे जाग्रत करके अपना कामकाज करने लगें और गांवका जीवन समृद्ध और सुशाहाल बने। यिसलिये खादी और द्वासरे १० बुद्योगोंके साथ ही सुतारी, लुहारी, कुम्हारी वगैरा अनेक घन्थे तथा अनुमें वैज्ञानिक सुधार और अनुके शिक्षणका प्रश्न अपने आप यिस योजनाके साथ जुड़ जायगा। और यह सब यदि गांवके लोग समझ, बुद्धि, होशियारी तथा प्रस्पर सहकार व सेवाकी भावनासे करें, तो अनुहं अद्भुत सामाजिक शिक्षण भी अपने-आप मिलेगा। कामके जरिये शिक्षणका गांधीजीका बुनियादी तालीमका मंत्र यहाँ भी अपयोगी सिद्ध होगा। यिसलिये खादी-ग्रामोद्योग बोर्डको यिस ढंगसे यिन सारे कामोंको आपसमें जोड़ देना चाहिये।

जैसे कामोंमें अेक काम बुनियादी है, जिसे अलगसे गिनाना ठीक होगा। वह काम है हमारे गांवोंकी स्वच्छता और तंदुरुस्तीका और अुसीके साथ जीवित सम्बन्ध रखनेवाले और अनकी खेतीके लिये प्राणरूप सिद्ध होनेवाले खाद और कूड़े-कचरेका। यिन दोनों बातोंका बड़ा गहरा और अटूट सम्बन्ध है। यिस ध्यानमें रखकर यदि हम काम करें, तो हमें अेक अैसा व्यापक कार्यक्रम मिल सकता है, जिसे सफल बनानेके लिये सरकारका स्वास्थ्य-विभाग, खेती-विभाग, समाजशिक्षा-विभाग, खादी-ग्रामोद्योग बोर्ड वगैरा कितनी ही संस्थायें मिलकर काम कर सकती हैं। यिस सम्बन्धमें यहाँ में पाठकोंको श्री बवंके लेख 'यिस नरकासुरका संहार करो' की याद दिलाता हूं, जो 'हरिजनसेवक' के १४-२-'५३ के अंकमें छपा है।

खेतीके लिये खादकी बड़ी जरूरत है। वैसे देखा जाय तो हमारे देशमें अूसकी कमी नहीं है। लेकिन हमारे राष्ट्रीकी अपार सम्पत्ति और समृद्धिकी ठीक-ठीक व्यवस्था नहीं हो पाती। मिसालके लिये, हम हृड़ी, चमड़ा और तिलहन बहुत बड़ी मात्रामें बाहर भेजते हैं। पर अुसमें से कचरेके रूपमें गिरनेवाला खाद बरबाद होने देते हैं। गोबर और मलमूत तथा पेड़-पत्तोंके कचरेका सोने जैसा खाद या तो सस्ते और पूरे अधिनके अभावमें हम जला डालते हैं या जहां-तहां गन्धनीके रूपमें बरबाद होने देते हैं और अुससे पैदा होनेवाले रोग बरीरका दुख भोगकर मरते हैं।

यिसमें रही हमारी राष्ट्रीय भूल और अज्ञानके बारेमें क्या कहा जाय? जैसे देशमें अगर गरीबी और कंगाली घर करके बैठ जाय, सो यिसमें आशर्य क्या है? यिस गलतीको सुधारना भी अब अेक बड़ा ग्रामोद्योग माना जाना चाहिये। अुसमें से शायद नकद आमदनी न दिखाली दे; लेकिन अुससे होनेवाली अप्रत्यक्ष आमदनी बहुत बड़ी और कीमती होगी।

और, अुससे नकद आय भी क्यों नहीं होगी? गंदगी और कचरेका परिश्रम करके सुन्दर खाद तैयार करें, तो बिना पैसेका कीमती खाद मिलेगा। अुससे जमीनका अपुजाओपन जरूर बढ़ेगा। आज हमारे यहाँ खादकी कमी है। यिसलिये केन्द्रीय सरकारने खाद जैसी घर-घर और गांव-गांवमें फैली हुजी चीजके लिये सींदरीमें अेक बड़ा कारखाना खोला है। अुसमें करोड़ोंकी पूंजी लगाकर रासायनिक खाद तैयार किया जाता है। फिर अुसे रेल द्वारा जगह-जगह भेजकर बेचनेका असफल प्रयत्न किया जाता है। और अब सुना है कि अुसमें कोअी रुकावट आ गई है। भारतका किसान अगर सींदरीके यिस कारखानेका मुहताज हो जाय, तो वह न सिर्फ परावलम्बी ही बनेगा, बल्कि अुसे खादके लिये नकद पैसे भी देने पड़ेंगे। देशकी खेतीकी व्यवस्था सींदरी जैसे केन्द्रित खाद-कारखानेके आधार पर करना ठीक नहीं है। यिसके बदले किसान अपनी मेहनतसे आसानीसे खाद पा सकता है। यह ग्रामोद्योग और स्वच्छता साधनेका तरीका ही सच्चा और तुरन्त अमलमें आने लायक है। मेहनत द्वारा करोड़ों रूपये पैदा करनेका यह तरीका अेक बड़ा ग्रामोद्योग है। यिसलिये गांवोंमें सुन्दरता, स्वच्छता और स्वास्थ्यकी प्रेरणा देनेवाले यिस कामको व्यवस्थित बनाकर नवजीवन प्रदान करना भी यिस बोर्डका अद्देश्य माना जायगा। अुसे प्रेरणा और गति देनेका काम भी बोर्डको ही करना होगा। यिसके लिये अेक योजना बनाकर राज्योंकी ग्रामपंचायतों और ग्रामविकास-मण्डलों द्वारा अुसे अमलमें लानेका विचार करना चाहिये।

२८-२-'५३
(गुजरातीसे)

मगनभाऊ देसाबी

आबकारी-आय और शराबके कारण होनेवाले गुनाहोंका खर्च

बम्बाई राज्यमें संपूर्ण शराबवन्दीके बारेमें मंत्रि-मण्डलने जो हिम्मत दिखाई है, वह स्वागतके लायक है। केन्द्रीय सरकारकी ओरसे तो कभी-कभी यिस तरहकी चेतावनी मिलती है कि शराब-ताड़ी आदिकी आयको छोड़ना राज्यकी आर्थिक स्थिरताकी दृष्टिसे खतरनाक है। आजकलके अर्थशास्त्री हमेशा केवल तात्कालिक स्थूल आर्थिक लाभ और अलाभका ही विचार करते हैं। शराब और ताड़ीके व्यापारसे जो आय होती है, अुसकी हमेशा रूपये-आने-पानीमें ही गिनती की जाती है। यिस तरहकी गिनतीमें प्रजाके कल्याणका बहुत गैरि स्थान रहता है। लेकिन रूपये-आने-पानीकी गिनतीके बारेमें भी आजके राजस्व विज्ञानके विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री बहुत अूपरी दृष्टिसे ही विचार करते हैं। यह सच है कि शराबवन्दीके कारण सरकारको शराबसे होनेवाली आय नहीं मिलती। यदि यह आय चालू रखनी हो, तो प्रजा भले यर्थादित रूपमें ही शराब-ताड़ी पीये, लेकिन यिसका व्यापार जारी रखा जाना चाहिये। यिसका मतलब यह हुआ कि सरकार यिस तरहकी अपवित्र आयके लिये प्रजाके अमुक वर्गको शराब-ताड़ीके व्यसनके लिये पूरी सहायित दे देती है। नतीजा यह होता है कि शराब-ताड़ी पीनेवाला वर्ग पैसे-टक्केसे तो बरबाद होता ही है, साथ ही क्लेश, दंगे-फसाद, मारपीट और अनीति आदिके गुनाहोंका वातावरण भी बहुत भयानक बन जाता है। कोअी भी सरकार गुनाहोंको हरगिज बरदाश्त नहीं कर सकती। गुनाहोंको काबूमें रखनेके लिये और गुनहगारोंको सजा करनेके लिये पुलिस, अदालतों आदिका खर्च तो सरकारको करना ही पड़ता है। यह होता है कि शराब-ताड़ीके व्यापारसे जितनी आय होती है, अुससे कहीं अधिक खर्च शराब-ताड़ीकी बजहसे होनेवाले गुनाहोंको काबूमें

रखनेके लिये होता है। आन्तरराष्ट्रीय टेम्परन्स मंडलके मंत्री श्री शाफ़न वर्ग हाल ही में बम्बादी आये थे। युन्होंने अस सम्बन्धके अमेरिकाके जो अनुभव पेश किये, वे जानने लायक हैं।

अमेरिकामें भी कुछ वर्ष पूर्व पूर्ण शराबबन्दी थी। लेकिन वहांकी, प्रजाको यह बात बहुत पसन्द नहीं आयी। असलिये फिरसे नशीले पेय छूटसे काममें आने लगे। परिणामस्वरूप नशेवाज लोगोंकी गुनाह करनेकी वृत्ति भी अत्तेजित हुई; गुनाह बढ़ते गये। शराबबन्दीके बन्द होनेसे नशीली चीजोंके व्यापारसे सरकारको आमदनी तो होने लगी, लेकिन गुनाहोंके बढ़नेसे अन्हें दबानेके लिये किया जानेवाला खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया। अखबारोंके प्रतिनिधियोंके सामने शाफ़न वर्गने अस बारेमें जो निवेदन किया, वह अस प्रकार है:

“शराबके कारण गुनाह करनेवालोंको पकड़ने तथा अदालतों, जेलो, पागलोंके दबावानों, वाहन दुर्घटनाओं और शराबसे होनेवाले दूसरे गुनाहोंके बारेमें सरकारको जो भयंकर खर्च करना पड़ रहा है, असका यदि हिसाब लगायें, तो यह साफ मालूम होगा कि सरकारको आबकारी-आयसे जो पैसे मिलते हैं, असमें से अस भारी खर्चका चौथेसे दसवां भाग भी नहीं निकलता।

“मैं अस बारेमें दो ही मिसाल दूँगा। अमेरिकाके पूर्वमें मासाचुसेट राज्य है। वहांकी धारासभाने अभी-अभी गुनाहोंके कारण होनेवाले सरकारी खर्चकी जांच करनेके लिये एक खास कमीशनकी नियुक्ति की है। कमीशनने अपनी ३८९ पृष्ठकी रिपोर्टमें बतलाया है कि शराबके व्यसनके कारण ही होनेवाले गुनाहों पर सरकारको जो खर्च करना पड़ा है, वह राज्यको शराबसे होनेवाली आयसे पांच गुना अधिक है। अस राज्यको छः करोड़ रुपयोंकी आबकारी-आय हुई, जबकि शराबके व्यसनके कारण होनेवाले गुनाहों पर ३० करोड़ रुपया खर्च करना पड़ा। दूसरी मिसाल परिचयके केलिफोर्निया राज्यकी है। वहां आबकारी-आयसे दस करोड़ रुपये मिले। लेकिन शराबके कारण होनेवाले गुनाहों पर १४० करोड़ रुपयेका खर्च हुआ। असका अर्थ यह हुआ कि केलिफोर्निया राज्यमें १ रुपयेकी आबकारी-आयके पीछे असके कारण होनेवाले गुनाहोंके लिये प्रजाको १० रुपये अधिक कर भरना पड़ता है।”

अमेरिकाके अनुभवसे यह बात स्पष्ट देखी जा सकती है कि रुपये-आने-पानीके हिसाबसे भी प्रजाको शराब पिलाकर सरकारको जितनी आय होती है, असकी अपेक्षा दस गुना अधिक खर्च अस आयके लोभके परिणामस्वरूप होनेवाले गुनाहोंको दबानेके लिये होता है। पूर्ण शराबबन्दीकी नीतिसे सरकारको वह आय मिलना बन्द हो जाती है। लेकिन गुनाहोंको दबानेमें किये जानेवाले खर्चके लिये प्रजाको १० गुना अधिक कर भी नहीं देना पड़ता। असलिये राज्यको शराबकी आबकारी-आयके बन्द होनेसे हरगिज घाटा नहीं होता, बल्कि अलटा लाभ ही होता है। क्योंकि शराबके कारण होनेवाले गुनाहोंका खर्च घट जाता है। वैसे शुरुआतमें बैसा लगता है कि राज्यकी आबकारी-आय बन्द हो जाती है। लेकिन यदि शराबबन्दीकी नीति दृढ़तापूर्वक चालू ही रही, तो कुल मिलाकर सरकारको प्रजा पर बहुत कम कर डालने पड़ेंगे। क्योंकि गुनाहों पर होनेवाला खर्च कम हो जायगा; अथवा अस तरह कम होनेवाले खर्चके कारण वच्ची हुई रकम लोक-कल्याणके सही कामोंमें खर्च होगी। केन्द्रीय सरकारके अर्थमंत्री और बम्बादी राज्यके शराबबन्दीके विरोधी धारासभा-सदस्योंको अमेरिकाके अनुभवोंका निष्पक्ष दृष्टिसे अध्ययन करनेकी जरूरत है।

(गुजरातीसे)

विलखुश दीवानजी

ग्रामोदय खादी-संघ — २

पिछले लेखमें ('हरिजनसेवक', २१ फरवरी, १९५३) हम देख चुके हैं कि खादीका काम गांवोंमें असी कामके लिये बनायी हुयी ग्राम-समितियों द्वारा होना चाहिये। खादीके अद्वेश्य क्रय हैं, अस सवाल पर लोग अनेक और विविध दृष्टिकोण रखते हैं। ज्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध दृष्टि यह है कि खादी जनतामें फैली हुयी बेकारीको दूर करने का साधन है। बेकारी दूर करना खादीके अत्यन्त महत्वपूर्ण अद्वेश्योंमें से अेक है, यह बात बहुत जोर देकर कही जाती है। और वह है भी सही, अगर हम अस दृष्टिको पूरी तरह समझ लें, और असके भीतर रहे संपूर्ण अर्थको हृदयंगम कर लें।

बेकारीके दो प्रकार हैं। बहुधा अनु लोगोंको बेकार माना जाता है, जिन्हें अन्नका अभाव है और जिनके पास पेट भरने तकका कोओी साधन नहीं है। लेकिन समाजमें अंसे लोग भी होते हैं, जिन्हें काम करनेका कोओी कष्ट असलिये नहीं करना पड़ता कि वे अपनी सारी आवश्यकताओं दूसरोंकी मेहनतके बल पर पूरी करनेकी स्थितिमें होते हैं। यह भी बेकारीका ही अेक रूप है। पहले प्रकारकी बेकारी काम न मिलनेके कारण होती है, तो दूसरी बेकारी अभीष्ट मेहनतसे बचनेकी विच्छाका परिणाम है। पहलीकी जड़में लाचारी है, दूसरी आलस्य और आत्मगौरवके विकृत भावसे पैदा होती है। आज हम समाजके जीवनमें जो बहुतसा दुःख और अन्याय देखते हैं, असका कारण अपने गौरवका यह विकृत भाव ही है। दोनों किसकी बेकारी कम या ज्यादा मात्रामें हर जगह मिलती है। खादीका अद्वेश्य समाजको बेकारीके अन दोनों रूपोंसे मुक्त कर देना है। असका मकसद है आलस्य और निष्क्रियताको बिदा कर देना।

सच तो यह है कि बेकारीके ये दोनों रूप आपसमें संबंधित हैं। दोनों जीवनके प्रति अेक समान दृष्टिकोणसे अत्पन्न होते हैं। दोनोंकी जड़में वही अेक समाज-व्यवस्था है और वही दोनोंका पोषण करती है।

मौजूदा समाज-व्यवस्था असी जंजीरोंका काम कर रही है, जो आदमीको आदमीकी सामाजिक और आर्थिक गुलामीमें बांधती हैं। यह व्यवस्था मनुष्य पर मजबूरीकी हालत लादती है और गरीबी फैलाती है। खादीका मकसद अस गुलामीका अन्त करना है। और अस मकसदको वह दूसरोंका आश्रय छोड़कर तथा स्वाश्रयी और स्वयंपूर्ण बनकर हासिल करना चाहती है।

असके सिवा, हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्थाका सबसे अधिक खेदजनक लक्षण आज यह है कि गांवोंमें बहुतायतसे पैदा होनेवाली हमारी कच्ची अपजका लोगोंके अपयोगमें अनेवाला तेयर माल गांवोंमें नहीं बनता है। असके लिये यह अपज शहरोंमें, यहां तक कि दूर विदेशों तकमें भेजी जाती है। अस परिस्थितिका कारण यह है कि हमारे ग्रामीयोग बढ़ नहीं पाते, अन्नति नहीं कर पाते तथा दूरके शहरोंकी यंत्रोंसे बननेवाली चीजोंने हमारे गांवोंमें बननेवाली चीजोंको हटा दिया है। गांवोंकी जनताको चाहिये कि वह अस दयनीय हालतसे अपना अद्वार करे। ग्रामोदय खादी संघको देहाती जनतामें अितनी शक्ति पैदा करना है कि वह यह काम कर सके; साथ ही संघको असके लिये आवश्यक संघटन और तंत्रका निर्माण भी करना चाहिये। ग्राम-समितियोंको अपने क्षेत्रमें यही बड़ा काम कर दिखाना है।

सेवाग्राम
(अंग्रेजीसे)

कृष्णदास गांधी

श्री नवजीवन संस्थाका ३१ दिसम्बर १९५२ के दिनका बेलेन्सशीट

जमा

८०, आ० पा०	८०,५६,५७७-१५-९ श्री आय-व्यय खाते पिछले बेलेन्सशीटके मुताबिक बाकी
१,२२,०९५-०-० श्री मशीन घिसाडी फंड खाते	१,२२,०९५-०-० पिछले बेलेन्सशीटके मुताबिक बाकी
३०,०००-०-० चालू सालमें घिसाडीके जमा किये	४१,५७९-५-० श्री प्रोविडेन्ट फंडकी रकम खाते
१,३९,६८५-९-८ श्री मकान फंड खाते	१,०३,५३२-४-२ पिछले बेलेन्सशीटके मुताबिक बाकी
३६,१५३-५-६ चालू सालमें घिसाडीके जमा किये	३०९,६८१-५-६ श्री अमानत खाते
२,५८१-१०-० श्री हरिजनसेवक संघ, दिल्लीको पू० गांधीजीके वसीयतनामेके मुताबिक वार्षिक हिसाबसे देनेकी रकम	१,०५,७४१-५-७ साप्ताहिकोंकि चन्देकी, कापी राखिट वगैराकी अमानत देना बाकी
७७९-११-८ पुस्तक तथा वेतन अमानत	५७८-१०-३ विक्री-कर अमानत
२०,७०,२३५-१-३ श्री कर्ज खाते	१०,३९,६५६-५-९ श्री महादेव देसाडी स्मारक ट्रस्टसे प्लाट नं० ९६ की जमीन और अुस पर बंधे हुओ मकानोंकी विक्रीटेबल गिरवी पर व्याजसहित
१०,३०,५७८-११-६ विविध व्यक्तियोंसे बिना जमानतकी व्याजसहित रकम — प्रमाणित यादीके अधीन	१०,३९,६५६-५-९ श्री जिम्मेदारी
४२,०६८-८-० खर्च पेटे	४२,०६८-८-० खर्च पेटे
१,३२,६७९-१-३ माल पेटे, पुस्तक अमानत, विविध कर्ज वगैरा	३५,५४,६०१-१४-५

नामे

८०, आ० पा०	३,१२,१५०-९-० जमीन-खरीदीके: खरीद कीमत पर पिछले बेलेन्सशीटके मुताबिक बाकी
१६,३८,८७८-१३-६ श्री मकान खाते लागत कीमत पर	१६,३१,७८६-१५-६ पिछले बेलेन्सशीटके मुताबिक बाकी
७,०९१-१४-० चालू सालमें बढ़ती की	३९,०००-०-० श्री सामान-असबाब
३८,०००-०-० पिछले बेलेन्सशीटके मुताबिक बाकी	४,१९१-०-० चालू सालमें बढ़ती की
४२,१९१-५-०	—३,१९१-०-० ५८-०-० विविध विक्रीके ३,१३३-०-० चालू सालकी घिसाडी
३,०२,६६२-४-६ श्री मशीन-विभागके	२,९८,६६०-६-६ पिछले बेलेन्सशीटके मुताबिक बाकी
२,९८,६६०-६-६	४,००१-१४-० चालू सालमें बढ़ती की
९६,३२०-९-३ श्री टाइप विभागके	९९,२०६-५-० पिछले बेलेन्सशीटके मुताबिक बाकी
२२,११४-४-३ चालू सालमें बढ़ती की	१२,१३२०-९-३
१२,१३२०-९-३	—२५,०००-०-० चालू सालकी घिसाडी
१३,०००-०-० श्री टाइप-फायूण्डरीके माल वगैराकी, चालू सालमें ट्रस्टकी टाइप-फायूण्डरीमें जो टाइप वगैरा बनाया गया, अुसकी कीमतके व्यवस्थापकट्रस्टी द्वारा आंकी हुयी कीमत की प्रमाणित यादीके मुताबिक	९,१६,९६५-०-० श्री मालका स्टाक व्यवस्थापकट्रस्टीकी प्रमाणित यादीके मुताबिक: लागत कीमतके आधार पर
७,७०,०००-०-० पुस्तकोंका स्टाक	७,७०,०००-०-० कागजका स्टाक
१,२४,०००-०-० कागजका स्टाक	८,५००-०-० प्रेस-मशीन स्टाक
४,२००-०-० जिल्द-वंधारीके सामानका स्टाक	४,२००-०-० जिल्द-वंधारीके सामानका स्टाक
२६५-०-० खादीका स्टाक	५१,८११-६-० श्री अनुवादकोंकी, तथा मालकी अमानत वगैरा खातेकी रकमें
८४,७३०-१-० पुस्तकोंकी विक्री वगैरा सम्बन्धी वसूल की जानेवाली रकम: वगैरा जमानतकी	८९,०६२-१५-६ दूसरोंसे वसूल की जानेवाली रकम: वगैरा जमानतकी
८४,७३०-१-० पुस्तकोंकी विक्री वगैरा सम्बन्धी वसूल की जानेवाली विविध रकमें	२,७०५-०-० प्रेविडेन्ट फंडमें से कर्मचारियोंकी दिया हुआ कर्ज
१,६२७-१४-६ कर्मचारियोंसे वसूल किया जानेवाला विविध कर्ज	१,६२७-१४-६ कर्मचारियोंसे वसूल किया जानेवाला विविध कर्ज

७,०५१-४-० श्री मकानभाड़ेके, दावेके सिलसिलेमें तासरकारके पास डाक-तार वर्गेरा विभागकी अमानतके

७५,०००-०-० अहमदाबाद पीपुल्स कोआपरेटिव बैंकमें फिक्स्ड डिपोजिटमें प्रोविडेन्ट फंडकी रकम जमा

१५-०-० अहमदाबाद पी० को० बैंकका १ शेयर, जिसकी पूरी रकम भर दी गयी है

१,५९१-३-० फिक्स्ड डिपोजिट पर चढ़े हुओ ब्याजके

११,०९२-१३-८ नकद तथा बैंकमें

९,३७७-७-८ बैंकोंके चालू खातेमें जमा

१७३-०-० डाकके टिकटोंके

१,५४२-६-० नकद बाकी हाथ पर: मेलके मुताबिक

३५,५४,६०१-१४-५

रविशंकर दवे
हिसाबनवीस

जीवणजी डा० देसाबी
व्यवस्थापकद्रस्टी

हमने श्री नवजीवन संस्थाका ता० ३१-१२-१९५२के दिन समाप्त हुओ वर्षका बूपरका बेलेन्सशीट और साथका असी दिन समाप्त हुओ वर्षके आय-व्ययका हिसाब हिसाबबहियोंके साथ जांचा है। जिसमें हमने हर तरहका जरूरी स्पष्टीकरण और जानकारी हासिल की है। हम मानते हैं कि हमें दिये गये स्पष्टीकरणों और संस्थाकी हिसाबबहियोंके मुताबिक बूपरका बेलेन्सशीट संस्थाकी सच्ची स्थिति बताता है।

ता० २-३-५३

५१, महात्मा गांधी रोड,
फोर्ट, बम्बई

नानुभाबीकी कंपनी
चार्टर्ड अेकायुन्टेन्ट्स
ऑफिटर्स

श्री नवजीवन संस्थाका ३१ दिसम्बर १९५२के दिन पूरे हुओ वर्षके आय-व्ययका हिसाब

जमा

र० आ० पा०

३,३६,८२१-६-६ श्री मुद्रणालय विभागकी छपाई, कागज खरीदी, पुस्तकोंकी जिल्द-बंधाई, टाइप-फायरप्रिंटरी वर्गेरासे हुओ कुल आय

८५,५५०-७-९ श्री पुस्तक-बिक्री विभागकी कुल आय

१८,०८६-१२-६ श्री प्रूफ-रीडिंग व अनुवाद विभागकी कुल आय

५,२५४-९-० श्री पुस्तक पुरस्कार (रॉयल्टी) विभागकी कुल आय

३,८३१-८-९ श्री मकान भाड़ा विभागकी कुल आय

१६,९६६-७-० मकान भाड़ेसे हुओ आय जिसमें से:—

१३,१३४-१४-३ म्युनिसिपल टैक्स तथा शाखाओंका मकान भाड़ा वर्गेराका खर्च बाद करके

१०,४१९-२-० श्री पत्र विभागकी कुल आय — वेतन, डाक-तार, पोस्टेज, स्टेशनरी वर्गेराका खर्च छोड़कर

८५-०-० श्री जमीनसे हुओ आय

४,६०,०४८-१४-६

ता० २-३-५३

५१, महात्मा गांधी रोड,
फोर्ट, बम्बई

नानुभाबीकी कंपनी
चार्टर्ड अेकायुन्टेन्ट्स
ऑफिटर्स

रविशंकर दवे
हिसाबनवीस

जीवणजी डा० देसाबी
व्यवस्थापकद्रस्टी

र० आ० पा०

२,५३,७५७-५-९ श्री वेतन खर्चके तथा प्रोविडेन्ट फंडके ब्याजसहित

७,४९३-२-९ श्री डाक-तार, पोस्टेज, रवानगी, और लायब्रेरी तथा स्टेशनरी खर्चके

९,२८०-१२-९ श्री टेलिफोन तथा अलेक्ट्रिक लाइटके खर्चके

८,२५३-२-९ श्री मुसाफिरी, विविध, औषधालय, खादी-खरीदी खर्च तथा ऑफिटरके मेहनतानेके

५५६-१५-३ श्री जमीन-महसूल खर्चके

४,८१८-२-० श्री बीमा प्रीमियम खर्चके

२०,७५५-१५-९ श्री प्रेस-मशीन खर्चके

१,५६९-८-९ श्री जमीन तथा मकान-मरम्मत खर्चके

५९,२७७-७-३ श्री ब्याज-बट्टेके

६६,९३२-३-९ दिये हुओ ब्याज-बट्टेके

—७,६५४-१२-६ मिले हुओ ब्याज-बट्टेके

५८,१३३-०-० श्री घिसाबी खर्चके (डिप्रीसियेशन चार्ज)

५५,०००-०-० मशीन और टाइपकी

घिसाबीके

३,१३३-०-० सामान-असबाबकी घिसाबीके

३६,१५३-५-६ श्री बाकी मकान-घिसाबीके, जो श्री मकान-फंड खातेमें बेलेन्सशीटमें ले गये

४,६०,०४८-१४-६

शराबबन्दी और विकासका कार्यक्रम

बम्बाई राज्यमें अकालके कारण अन्नकी कमीका सवाल पैदा हो गया है। अन्नकी कमीकी औंसी कठिन परिस्थिति वहां पिछले अनेक सालोंमें कभी नहीं हुई। राज्यकी देहाती-आबादी दो करोड़ चौबीस लाख है। समाचारोंसे प्रगट होता है कि असका करीब चौथाई हिस्सा अकालसे पीड़ित है। परिस्थितिकी गंभीरताका अनुभव करते हुजे केन्द्रके अर्थमंत्री श्री सी० डी० देशमुखने अुसे केन्द्रीय सरकारकी ओरसे औंसी आकस्मिक परिस्थितियोंके लिये पंचसाला योजनामें स्वीकृत १४ करोड़ रुपयोंकी रकममें से ७ करोड़ रुपया देनेका बचन दिया है। साथ ही २८ जनवरीको पूनमें हुई प्रेस-कान्फरेंसमें अनुहोने वन्म्बाई सरकारको यह सलाह भी दी कि वह अकालकी परिस्थितियोंका खायल करके अपनी शराबबन्दीकी नीति पर 'पुनर्विचार करे'। श्री देशमुख पक्के सिविलियन रहे हैं, असलिये अनुका औंसी सलाह देना बहुत अजीब बात नहीं है। लेकिन अुससे सरकारकी मनोवृत्तिका पता जरूर लगता है। असलिये जब असके सवाल पर बम्बाईके महसूल-मंत्रीने यह कहा कि 'शराबबन्दीकी नीतिसे हटनेकी तो कोओ बात ही नहीं है, हम अुस पर पुनर्विचारकी भी आवश्यकता नहीं मानते', तब बड़ी खुशी हुयी।*

पश्चिम बंगालमें अससे ठीक अुलटी घटना हुयी। पी० टी० आओ० की ओंक खबरका कहना है कि —

"पश्चिम बंगालकी सरकार शराबबन्दीकी योजनाको अनिश्चित कालके लिये स्थगित रखनेका विचार रखती है, ताकि अुसे जो पैसा मिलता है, वह साराका सारा पंचसाला योजनाके अन्तर्गत विकासकी योजनाओं पर ही खर्च किया जा सके।"

असी खबरमें आगे यह कहा गया है:

"सरकारी प्रबक्षताने बताया कि शराबबन्दीको पंचसाला योजनाकी समाप्ति तक रोक रखनेका कारण पैसेकी कठिनाई है, शराबबन्दीकी अुपयोगितामें विश्वासकी कमी नहीं।" ('स्टेट्समेन,' ३ फरवरी, १९५३)

अस समाचारसे ये नतीजे निकलते हैं कि जहां तक पश्चिम बंगाल सरकारका संबंध है:

(१) पंचसाला योजनामें शराबबन्दीको कोओ स्थान नहीं है।

(२) विकासकी योजनाओंको शराबबन्दी पर तरजीह दी जायगी। और

(३) विकास और शराब दोनोंको साथ-साथ बढ़नेका मौका दिया जानेवाला है।

कहनेकी जरूरत नहीं कि यह नीति बंबाई सरकारकी नीतिसे ठीक अुलटी है, भले वह केन्द्रीय सरकारको पसन्द हो। अस तरह पंचसाला योजनाको हमारे देशकी दो राज्य-सरकारें दो विश्वद तरीकोंसे कार्यान्वित करना चाहती हैं। और ये दोनों अुस संविधानके अधीन काम कर रही हैं, जो साफ-साफ कहता है:

"राज्य नशा करनेवाले सारे पेय पदार्थों तथा स्वास्थ्यके लिये नुकसानदेह दूसरे मादक द्रव्योंकी खपत बन्द करनेकी कोशिश करेगा; अलवत्ता, अन एव पदार्थोंके दवा-रूप अुपयोगको छोड़कर।"

'नशा करनेवाले द्रव्योंकी खपत रोकनेकी कोशिशमें' पश्चिम बंगाल सरकारने जो कदम पहले अठाये थे अन्हें वह बापिस ले रही है, यह बात हमारे संविधानकी सीधी अवज्ञा है या नहीं, असका निर्णय तो कानूनके पंडित करेंगे। लेकिन ज्यादा दुःख तो

* बम्बाई सरकारके १९५३-५४ के बजटमें शराबबन्दीकी नीति कारण रखी गयी है, और अगरचे दुर्भिक्षकी परिस्थितियोंके प्रतिकारकी पूरी व्यवस्था की गयी है, तो भी बजटमें कोओ धाटा वहीं हुआ है।

— स०

अस विषयमें भारत सरकारकी नीतिको देखकर होता है। वह भारतीय जनताके साथ द्रोह है।

बिलाहावाद, ६-२-'५३
(अंग्रेजीसे)

सुरेश रामभाऊ

हिन्दीके सामने खतरा

नीचेका हिस्सा अलीगढ़से २० फरवरीको भेजी हुयी पी० टी० आओ० की ओंक खबरसे लिया गया है:

"हिन्दी साहित्य-सम्मेलनके समक्ष भाषण करते हुजे श्री पुरुषोत्तमदास टंडनने कहा कि हिन्दीका प्रश्न जरूरी तौर पर भारतकी अकेता और सुदृढ़ताके साथ जुड़ा हुआ है। अगर हिन्दीकी अपेक्षा की गयी और जनताकी भाषाके नाते अुसकी स्थिति कमजोर पड़ गयी, तो राष्ट्र भी जरूर कमजोर पड़ जायगा।

"श्री टंडनने हिन्दीके सामने खड़े अन दो खतरोंसे भी लोगोंको आगाह किया — (१) अंग्रेजीका प्रेम और (२) अुत्तर प्रदेशमें अुर्दूको प्रादेशिक भाषा घोषित करानेका आन्दोलन।"

हम यह बात स्वीकार कर सकते हैं कि राष्ट्रभाषा हिन्दीका प्रश्न देशकी अकेताके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे देशमें कभी भाषायें बोली जाती हैं। असलिये हमारे यहां अेंक औंसी भाषाका होना जरूरी है, जो आन्तरप्रान्तीय और अखिल भारतीय व्यवहारका सर्वसामान्य वाहन बन सके। बेशक, अंग्रेजी वह भाषा नहीं हो सकती; हमारी सारी प्रादेशिक भाषाओंमें हिन्दी ही असके लिये सबसे अनुकूल है। लेकिन वह हिन्दी अुत्तर प्रदेशकी संस्कृत शब्दोंसे लदी हुयी या फारसी शब्दोंसे भरी हुयी हिन्दी नहीं है। जैसा कि गांधीजीने बार-वार कहा है, वह अुत्तरकी सर्वसामान्य सीधी-सादी भाषा है, जिसे विना किसी जाति या धर्मके भेदके सब लोग बोलते हैं। वह हिन्दी और अुर्दूका सुन्दर मेल है। हिन्दी साहित्य-सम्मेलनने अस चीजको स्वीकार नहीं किया है; न वह भारतके विधानको ही स्वेच्छासे मानता है, जिसकी धारा ३५१ में राष्ट्रभाषाके निर्माण और विकासका नियम बताया गया है। सम्मेलन यह मानता दीखता है कि अुर्दूका बहिष्कार करनेवाली हिन्दी, जिसका आज अुत्तर प्रदेशमें साहित्यिक भाषाके तौर पर विकास किया जा रहा है, राष्ट्रभाषा होनी चाहिये। अगर राष्ट्रभाषाके विकासके लिये कोओ खतरा हो, तो वह अुर्दूके बहिष्कारकी यह संकुचित भावना ही है, जो कि हमारी अेकता और मिलीजुली संस्कृतिकी जड़ खोद रही है; अुर्दूसे या अुर्दूको अुत्तर प्रदेशकी प्रादेशिक भाषा स्वीकार करनेको मांगसे अुसे कोओ खतरा नहीं है। अुर्दू तो अुत्तर प्रदेशकी प्रादेशिक भाषा है ही और हमारे देशकी अेकता और सुदृढ़ता तथा मिलीजुली संस्कृतिके विशाल हितकी दृष्टिसे अुसे प्रादेशिक भाषा स्वीकार करना भी चाहिये। सच्ची राष्ट्रभाषाके विकासके लिये भी औंसा करना जरूरी है।

१२-३-'५३
(अंग्रेजीते)

मगनभाऊ देसाओ

विषय-सूची		पृष्ठ
अनिवार्य शिक्षा	गांधीजी	१७
हाथ-अद्योग द्वारा कान्ति	मगनभाऊ देसाओ	१७
यह काफी नहीं है	मगनभाऊ देसाओ	१८
दुराचार और आधुनिक परिस्थितियां	कनैयालाल मुंशी	१९
स्वच्छता, खाद और कूडा-करकट	मगनभाऊ देसाओ	२०
आबकारी-आय और शराबके	कृष्णदास गांधी	२१
कारण होनेवाले गुनाहोंका खर्च	दिलखुश दीवानजी	२०
ग्रामोदय खादी-संघ — २	कृष्णदास गांधी	२१
नवजीवनके हिसाबका	जीवणजी डा० देसाओ	२२
बेलेसशीट — १९५२	सुरेश रामभाऊ	२४
शराबबन्दी और विकासका कार्यक्रम हिन्दीके सामने खतरा	मगनभाऊ देसाओ	२४